भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर बनारस से लड़ेंगे मोदी के खिलाफ चुनाव!

जनज्वार। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण की बातों से लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वे बनारस से लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। बकौल चंद्रशेखर पहले तो वह बनारस से भीम आर्मी से किसी मजबूत कैंडिडेट को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मैदान में उतारेंगे और अगर कोई ऐसा नहीं मिला तो वह खुद वहां से चुनाव मैदान में उतरेंगे।

खबर के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद ने कहा, वे प्रधानमंत्री मोदी को आसानी से जीतने नहीं देंगे। वह उन्हें हराने की हरसंभव कोशिश करेंगे।

गौरतलब है कि भीम आर्मी प्रमुख चन्द्रशेखर रावण को पुलिस ने मंगलवार, 12 मार्च को देवबंद में आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए मेरठ भेज दिया गया था।

चंद्रशेखर रावण की गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर जिलाधिकारी ए.के पांडेय ने कहा कि भीम आर्मी प्रमुख अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ देवबंद क्षेत्र में जुलूस निकाल रहे थे। आचार संहिता लगने के बाद भी वह बिना अनुमति के यह कार्यक्रम

कर रहे थे। प्रशासन ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर उपचार के लिए मेरठ के अस्पताल में भेजा दिया।

भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर समेत कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी के बाद भीम आर्मी के सहारनपुर जिला प्रमुख कमल वालिया ने बताया, 'हम लोग 15 मार्च को दिल्ली में होने वाले कांशीराम जयंती समारोह में चलने के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे थे। प्रशासन ने हमें इसकी अनुमति नहीं दी। शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम कर रहे थे। पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया।'

गौरतलब है कि इससे पहले मेरठ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चंद्रशेखर रावण से मुलाकात की थी, जिससे कांग्रेस-भीम आर्मी में गठबंधन के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। प्रियंका गांधी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे।

प्रियंका गांधी के साथ अपनी मुलाकात पर चंद्रशेखर ने कहा कि प्रियंका गांधी ने उन्हें भाई कहकर उनका हालचाल पूछा तो मैंने कहा कि बहन मैं ठीक हूं। बकौल चंद्रशेखर, प्रियंका गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप अकेले लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, हम आपके साथ हैं। हमारी पार्टी आपका समर्थन करेगी।

हालांकि चंद्रशेखर कहते हैं मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं चाहता हूं। मैं बहुजन समाज में जन्मा हूं, वहीं मरूंगा। मैं सिर्फ बहुजन समाज की राजनीति चाहता हूं। इस चुनाव में मेरा मकसद सिर्फ मोदी को हराना है। वह जहां से चुनाव लड़ेंगे मैं भी वहीं से मैदान में उतरूंगा।

इससे पहले भीम आर्मी प्रमुख का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर देवबंद में हमारी पदयात्रा रोकी गई थी। हमारे पास पदयात्रा की अनुमति थी, लेकिन प्रशासन और सरकार इस बात को लेकर झूठ फैला रहे हैं।

चंद्रशेखर रावण कहते हैं, '15 मार्च को दिल्ली में बहुजन हुंकार रैली होगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सेदारी करेंगे। चाहे जो कोई इसे रोकने का प्रयास करे, अब यह रुकेगा नहीं। लोकसभा चुनाव में मायावती को पूरा समर्थन दिया जाएगा।'

बनारस में उजाड़ दी दलितों की पूरी बस्ती, दलित होने के कारण नहीं मिल रहा किराए पर मकान

वाराणसी से अजय प्रकाश की विशेष रिपोर्ट

विश्वनाथ मंदिर के सामने मैदान बन चुके इस हिस्से में सैकड़ों घर जमींदोज कर दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि सीधे ?मंदिर से गंगा नजर आएं। मेरा घर भी टूटने वाला है और वह पूरी तरह से क्रैक हो चुका है। पर सरकार ने हमें एक पैसा अब तक मुआवजा के तौर पर नहीं दिया है। घर छोड़कर जाना चाह रहे हैं तो किराए पर कोई कमान नहीं दे रहा, चमार सुनते ही दरवाजा बंद कर ले रहा है।

बनारस के विश्वनाथ मंदिर से 200 मीटर पर रह रहीं उषा देवी जब अपनी यह पीड़ा बयां कर रही होतीं है तो सैकड़ों लोग उनकी बात का समर्थन का करते हैं। इसी बस्ती के चंद्र प्रकाश बताते हैं, 'इस मोहल्ले को ही मलीन बस्ती कहते हैं। कुछ बड़े लोगों को तो सरकार ने अच्छा मुआवजा दे दिया पर हमें बहुत मामूली मुआवजा में भगाने के लिए तैयार है। हमलोग नहीं जा रहे तो रोज पुलिस और अधिकारी धमकाते हैं और इसी मिट्टी में जमींदोज करने की धमकी देते हैं।'

लखनऊ विश्वविद्यालय से एमबीए कर रहीं प्रीति बुलडोजर द्वारा ढाए जा रहे घरों को लेकर एक घटना का ब्यौरा देती हैं। वह कहती हैं कि तीन—चार दिन पहले जब लोग घरों से बाहर नहीं निकले तो उसी पर बुलडोजर चला दिया गया। अधिकारियों और पुलिस वालों ने लोगों को घसीटकर पीटा और जो लड़के या मर्द विरोध कर रहे थे उन्हें अपने साथ ले गए। और यह सबकुछ हुआ सिर्फ मोदी जी की सनक पूरा करने के लिए कि मंदिर से गंगा सीधी दिखें।'

आरएसएस के पूर्व कार्यकर्ता कृष्ण कुमार शर्मा के मुताबिक, 'अभी जो कॉरिडोर बना है उसमें कुल 200 मंदिर थे, लेकिन प्रशासन ने केवल 43 को ही चिन्हित किया। मौके पर देखें तो प्रशासन ने इससे आधा मंदिरों को ही केवल संरक्षित करता दिख रहा है।'

स्थानीय अधिकारियों द्वारा मीडिया को दी जा रही जानकारी के मुताबिक कुल 300 घर हैं, जिन्हें जमींदोज किया जाना है, जिसमें से एक तिहाई को खरीदने में वे सफल हुए हैं।' पर इस जानकारी को रवि कुमार गलत बताते हैं। उनका कहना है कि 300 नहीं 500 से अधिक घर हैं। जिन घरों में दो—दो भाई रह रहे हैं, उन्हें सरकार नहीं गिन रही। दूसरी बात, एक भाई को किसी तरह धमका के या बहला—फुसला के घर खरीद लिया तो दूसरे के बेचने का इंतजार करने से पहले ही बुलडोजर चलने लग जा रहा है।

वाराणसी के संभागीय आयुक्त दीपक अग्रवाल इन आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं, 'हमने आपसी सहमति से घर और दुकानों को खरीदा है और लोग खुश हैं कि बनारस की पहचान विश्वनाथ मंदिर के कारण विकास हो रहा है। हमने सभी को बहुत अच्छा मुआवजा दिया है, कोई शिकायत होगी तो उसका निस्तारण करेंगे।'

बसपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश कुमार की राय में, 'यह प्रधामनंत्री मोदी का सनकपन है और हम गरीब लोग इसी में पीसे जा रहे हैं। बनारस की पहचान गलियों और मंदिरों से है। गलियों को नेस्तनाबूद कर मंदिरों को ढाहकर सिर्फ एक मंदिर के लिए यह सब किया जाना बताता है कि मोदी सबकुछ को बेचने पर आमादा हैं, उन्हें संस्कृति और परंपरा से कोई लेना—देना नहीं है।'

इस बीच एक महिला आतीं हैं और कहने लगती हैं, 'मैं 10 साल से यहीं रह रही हूं। घरों में बर्तन मांजने का काम करती हूं और यहां सस्ते में रह जाती हूं। पर अब कहां जाएंगे। हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं है।'

वाराणसी के संभागीय आयुक्त दीपक अग्रवाल इन आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं, 'हमने आपसी सहमति से घर और दुकानों को खरीदा है और लोग खुश हैं कि बनारस की पहचान विश्वनाथ मंदिर के कारण विकास हो रहा है। हमने सभी को बहुत अच्छा मुआवजा दिया है, किसी को कोई शिकायत होगी तो उसका निस्तारण करेंगे।'

दीपक अग्रवाल की बातों को मौके पर कोई सही साबित करने वाला प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि जनज्वार के कैमरे पर दर्जनों औरतों—मर्दों और बच्चों ने मुआवजा नहीं मिलने और दलित होने की वजह से किसी के द्वारा किराए पर मकान नहीं दिए जाने की बात कही है।

कानून को ताक पर घरों को जमींदोज किए जाने को लेकर लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया के बारे में दलित बस्ती में रहने वाले बसपा नेता प्रकाश कुमार ये कहते हैं, 'जिस दिन मोदी 8 मार्च को बनारस कॉरिडोर का उद्घाटन करने आए थे, तब यहां के बाशिंदों को छत पर जाने या बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, घर से निकलना तो दूर की बात है। इससे पहले हम लोग दर्जनों बार प्रदर्शन किए, अधिकारियों से मिले लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। सबने कहा ये मोदी जी का मामला है।'

पानसरे हत्याकांड की धीमी जांच से कोर्ट नाराज, कहा महाराष्ट्र सरकार बन गई है हंसी की पात्र

वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट

जनज्वार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा महाराष्ट्र सरकार से क्या वजह है कि गोविंद पानसरे मामले की धीमी जांच की और क्या मामले की धीमी जांच उनके लिए चिंता का विषय नहीं है?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार 14 मार्च को महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए तल्ख टिप्पणी की कि तर्कवादी गोविंद पानसरे हत्याकांड की जांच के लिए अपनाए गए तरीकों को लेकर सरकार हंसी का पात्र बन गई है।

जस्टिस एससी धर्माधिकारी तथा जस्टिस बीपी कोलाबावाला की एक पीठ ने महाराष्ट्र के गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव को मामले की धीमी जांच का कारण बताने के लिए 28 मार्च को तलब किया है। पीठ ने कहा कि यदि नेता देश की जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते है तो वे चुनाव न लड़ें। पीठ ने कहा कि यदि अपराध की जांच सिर्फ अदालत के हस्तक्षेप के बाद की जाएगी तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रकरण दर प्रकरण सिर्फ न्यायपालिका ही संरक्षक के रूप में आगे आएगी तो इससे पुलिस की जनता के मन में क्या छवि बनेगी?

पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को स्पष्ट करने को कहा है कि पानसरे मामले की धीमी जांच की वजह क्या है और क्या मामले की धीमी जांच उनके लिए चिंता का विषय नहीं है? हम चाहते हैं सरकार भी इस मामले में दबाव महसूस करे और एक दिन वह भी इसका परिणाम भुगते। पीठ ने यह भी कहा कि अक्सर देखा गया है कि आपराधिक मामलों की जांच करने वाली पुलिस बिना किसी जिम्मेदारी के बच निकलती है, उन्हें न कोई मेमो जारी किया जाता है और न ही उनसे कोई सफाई मांगी जाती है।

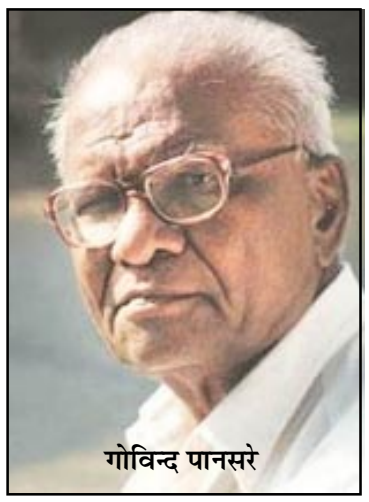
गोविन्द पानसरे

हद तो यह है कि उन्हें अपराध की जांच कैसे प्रभावी तरीके से की जाए इसका समय-समय पर सेवानिवृत्त अधिकारियों के माध्यम से प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता।

इससे पहले पीठ ने पानसरे व सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर मामले की जांच को लेकर लेकर पेश की गई प्रगति रिपोर्ट को देखने के बाद कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त की। राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) पानसरे मामले की जांच कर रही है, जबकि सीबीआई दाभोलकर प्रकरण की तहकीकात कर रही है।

खंडपीठ ने रिपोर्ट पर गौर करने के बाद पाया कि पानसरे मामले में फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस सिर्फ आरोपियों के रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि एसआईटी इस बात को समझे की पानसरे हत्या मामले को चार साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। ऐसे में इस बात की संभावना बहुत कम है कि आरोपी महाराष्ट्र में होंगे।

वे देश के दूसरे हिस्से में जाकर भी रह सकते हैं। आरोपी की सिर्फ पुणे में अचल संपत्ति है, इसका मतलब वह यहां आएगा इसकी संभावना कम ही है। वह देश के किसी भी कोने में जा सकता है। फिर भी पुलिस आरोपी के रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है।

कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा यह कोई हिंदी फिल्म नहीं

हाईकोर्ट ने कहा जांच का यह तरीका जगहंसाई व उपहास का पात्र बनाने वाला है। पुलिस की निष्क्रियता के चलते जनता के मन में यह धारणा बनती है अपराध करके बचा जा सकता है। यह मामला कोई हिंदी फिल्म नहीं है। जैसे फिल्मों में पुलिस घटना के बाद घटना स्थल पर पहुंचती है। वह ऐसे मामले में मूकदर्शक नहीं रह सकती।

महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य को अपने यहां के विचारकों, तर्कवादियों व लेखकों पर गर्व करना चाहिए। इस दौरान खंडपीठ ने पानसरे मामले की जांच कर रहे आईपीएस अधिकारी टी. काकडे को भी कड़ी फटकार लगाई। गौरतलब है कि साल 2013 में पुणे में सामाजिक कार्यकर्ता दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि 16 फरवरी 2015 को कोल्हापुर में पानसरे की गोली मारकर हत्या की गई थी।

पीठ ने नरेंद्र दाभोलकर की 2013 की हत्या की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भी निर्देश दिया कि वह बिना और देरी के अपनी जांच को खत्म करे। सीबीआई ने 14 मार्च को अदालत के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि दाभोलकर मामले में हमलावरों को गिरफ्तार किया गया था, चिन्हित किया गया था और आरोप पत्र दायर किया गया था, इसके लिए कुछ अतिरिक्त मुद्दों की जांच के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी, जैसे कि हथियार और आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार की जांच।

सीबीआई और राज्य सीआईडी दाभोलकर और पानसरे की हत्याओं की जांच कर रहे हैं। पानसरे को 16 फरवरी 2015 को कोल्हापुर में गोली मार दी गई थी. उन्होंने 20 फरवरी को अस्पताल में दम तोड़ दिया था। दाभोलकर की पुणे में 20 अगस्त 2013 को सुबह की सैर के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इसके पहले दिसम्बर 18 में सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, पत्रकार गौरी लंकेश और तर्कवादी एम. एम. कलबुर्गी की हत्या केस की जांच पर उच्चतम न्यायालय की जस्टिस उदय यू ललित और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने अहम निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यदि इन चारों ही हत्या में एक लिंक है तो एक ही एजेंसी सभी हत्याकांड की जांच कर सकती है।

इससे पहले 26 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार की खिंचाई की थी और कहा था कि वह जांच में कुछ नहीं, बस दिखावा कर रही है। साथ ही न्यायालय ने संकेत दिया था कि वह मामले को बॉम्बे उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर सकती है।

प्रख्यात शिक्षाविद और तर्कवादी कलबुर्गी की 30 अगस्त, 2015 को धारवाड़ में हत्या कर दी गई थी, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता पानसरे की भी उसी साल 16 फरवरी को हत्या की गई थी। पत्रकार गौरी लंकेश की पांच सितंबर, 2017 को बेंगलुरु में हत्या की गई, जबकि एक अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और तर्कवादी दाभोलकर को 20 अगस्त, 2013 को मौत के घाट उतार दिया गया था।